

भिरगोंदेवी पुत्री देराजराम पत्नी उदाराम
वगैरा जाति जाट निवासी आडेल
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

अज अदालत
फर्द अहकाम.
(नियम 26)

बनाम

मांगाराम पुत्र देराजराम वगैरा
जाति जाट निवासी आडेल
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
मुकदमा संख्या 81/2021

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
28.9.2021	महोदय यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केसाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,40,91,188,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंगन/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः वाद दर्ज करने योग्य है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ	
28.9.2021	सहायक कलक्टर (एस.डी.एम)सिणधरी यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केसाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,40,91,188,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण वहन करेंगे। वकील वादीगण की प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली-वास्ते-प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा.प्रा.वि. आडेल में दिनांक 09.10.2021 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी	
	9.10.2021 9.10.2021 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा.प्रा.वि. आडेल का ज. आदेश आडेल में पेश हुई। पत्रावली के जरिये नष्ट हो चुके के कारण पत्रावली वालों - तलबी दिनांक 12.11.2021 को पेश थे।	

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़मालानी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़मालानी/आडेल



फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

	यनाम	
जीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा
तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
२७/१२/२५	पश्चात्तल आजा पैदा हुई वकील कादीनीगण अनुपस्थित कादीनीगण स्थान अनुपस्थित कादीनीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिखाई गयी कावज्ज आवाजें दिनांक के कादीनीगण वक कादीनीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के उक्त उक्त उक्त उक्त कादीनीगण की अदम हाजिरी अदम पैदा में खारिज किया जाता है पश्चात्तल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	